

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 530/2026

Shilpa W/o Shri Gaurav, Aged About 39 Years, D-507 Pamgreen
Supertech Delhi Road Policestation Brahmapuri, Merrut U.p. At
Present Residing At Flat No.-403 Hitawala Apartment, police
Station Sukher, District Udaipur, Rajasthan.
(Lodged In Dist. Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Dr. Sachin Acharya, Sr. adv. assisted by Mr. Ramdev Rajpurohit
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP Mr. Ojas Shakdwipeeya

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

Arguments Concluded On 12/03/2026

Reserved On 12/03/2026

Full Order Pronounced

Date of Pronouncement 19/03/2026

1. प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 681/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 70(1), 115(2), 303(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थिया/अभियुक्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। जो बयान पीड़िता ने धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए हैं, उसके मुताबिक ही पीड़िता ने स्वयं को बार-बार बेहोशी की हालत में हो जाना बताया है। तीन मर्तबा बेहोशी टूटना और घटना के बारे में जानकारी होना बताया है, जबकि घटना 20.12.2025 व 21.12.2025 के दरमियानी रात्रि की बताई गई है। उसके बावजूद रिपोर्ट दिनांक

23.12.2025 को दर्ज करवाई गई और घटना के पश्चात भी Work from home पीड़िता द्वारा किया गया है। Transcript (लिप्यन्तर) जो अभियोजन की ओर से बताई जा रही है, उसको प्रार्थिया/अभियुक्ता Disputed (विवादित) करते हैं, जिस पर विचारण के दौरान आपत्तियां की जाएंगी और Transcript (लिप्यन्तर) से अधिक से अधिक गौरव का Role (भूमिका) हो सकता है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है और एक बच्चा भी प्रार्थिया/अभियुक्ता के है। दोनों पति-पत्नी जेल में रहने से बच्चे की परवरिश प्रभावित हो रही है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। पीड़िता द्वारा उल्टी कर देने पर सॉरी बोलना भी तफ्तीश में आया है। समय 4 से 5 बजे के दौरान प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा मुस्तगीसा की गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी, दूसरी गाड़ी चलाई जा रही होना बताया है। ऐसी अवस्था में यह कहानी प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद होने के आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीसा की ओर से इसका सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना 20.12.2025 व 21.12.2025 की दरमियानी रात्रि की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को दर्ज करवा दी गई। दिनांक 23.12.2025 को मुस्तगीसा के पति के नाम की कार के डैश कैमरा को देखने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दिनांक 23.12.2025 के बाद कोई कार्य कंपनी का पीड़िता ने नहीं किया है और पीड़िता के Inner wear प्रार्थिया/अभियुक्ता के घर से बरामद हुए हैं। सीओ डायरी में पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान संलग्न हैं, उसमें स्पष्ट रूप से प्रार्थिया/अभियुक्ता व सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य दी गई है। प्रार्थिया/अभियुक्ता ने अपने पति को बचाने के लिए कार की सफाई भी की है।

6. आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में डैश कैमरा की ऑडियो रिकॉर्डिंग व वीडियो रिकॉर्डिंग की फर्दात अलग-अलग Transcript (लिप्यन्तर) कर तैयार की गई हैं और मेडिकल जांच से चोटें शरीर पर आना स्पष्ट है। प्रार्थिया/अभियुक्ता की गाड़ी, जिसमें घटना घटित हुई, को धुलवा दिया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता व सह-अभियुक्त कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। पीड़िता को अन्य व्यक्तियों के साथ प्रार्थिया द्वारा जाने नहीं दिया और अपने साथ ले गई। लगातार घटना के समय प्रार्थिया/अभियुक्ता भी मौजूद रही है। ऐसी अवस्था में गैंग रेप का गंभीर प्रकृति का मामला होने से प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

8. इस मामले में पीड़िता के धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया। इस मामले में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान जो सीओ डायरी में संलग्न है, जिसका अवलोकन किया। यह बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए। इन बयान में स्पष्ट रूप से पीड़िता द्वारा प्रार्थिया/अभियुक्ता के पति की गाड़ी में बैठना व प्रार्थिया/अभियुक्ता के पति द्वारा गाड़ी चलाना, उसके पास प्रार्थिया/अभियुक्ता का बैठना और प्रार्थिया/अभियुक्ता के पीछे स्वयं का कार में बैठना, और प्रार्थिया/अभियुक्ता के पति के पीछे दूसरे सह-अभियुक्त का बैठना बताया है और प्रार्थिया/अभियुक्ता की गाड़ी में ही घटना घटित होना बताया और यह स्पष्ट कहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता पार्टी से बाहर लेकर आई और प्रार्थिया/अभियुक्ता ने स्मॉक करने का बोला, जो स्मॉक का सामान प्रार्थिया/अभियुक्ता के घर पर पड़ा था, जिसके घर की तरफ गाड़ी ले जाकर वहां से सामान प्रार्थिया लेकर आई, फिर पान की शॉप पर गए, फिर काले रंग के पाउच में सामान दिया, जिसकी सह-अभियुक्त ने सिगरेट बनाई और प्रार्थिया/अभियुक्ता ने जलाई और स्मॉक किया। उसके बाद पीड़िता को भी स्मॉक करवाया, जिससे वह बेहोश हो गई।

9. पीड़िता ने आगे कहा कि जब वह उठी तो सह-अभियुक्त जितेश ने उसे गोदी में लेटा रखा था। जितेश पीड़िता के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था और दूसरे हाथ से जितेश ने वजाइना में उंगली डाल रखी थी। फिर बेहोश हो जाना और फिर वापस उठने पर सह-अभियुक्त जितेश व प्रार्थिया/अभियुक्ता का आगे की सीट पर बैठे होना और सह-अभियुक्त गौरव का पीछे की सीट पर बैठे होना और गौरव द्वारा भी उसे अपनी गोद में लेटाया हुआ होना और ब्रेस्ट को प्रेस करना और दूसरे हाथ से उसके द्वारा भी वजाइना में उंगली डाल रखी होना बताया, फिर बेहोश हो जाना बताया है। पुनः होश आने पर जितेश द्वारा गोद में लिटाया होना और ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे होना और दूसरे हाथ से वजाइना में उंगली डाल रखी होना और स्वयं को सेमी कांसियस होना बताया और स्पष्ट रूप से प्रार्थिया/अभियुक्ता के बारे में भी यह कहा है कि सह-अभियुक्त जितेश का ड्राइवर सीट पर चले जाना, फिर प्रार्थिया/अभियुक्ता ने भी उस समय पीड़िता के ब्रेस्ट को प्रेस किया और वजाइना में फिंगरिंग किया।

10. इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक ही कार में सारी घटना पीड़िता के साथ होना और तीनों व्यक्तियों द्वारा बारी-बारी से एक ही तरह से घटना कारित करना पीड़िता द्वारा बताया गया है।

11. इस मामले में बाद में स्वयं की कार को प्रार्थिया/अभियुक्ता के पति गौरव द्वारा चलाना और उसमें रखे डैश कैमरा में 4 से 5 बजे की रिकॉर्डिंग होना, जिसके द्वारा आगे वाली गाड़ी को देखकर बोलना..... वगैरह साक्ष्य पीड़िता ने दी है।
12. इस मामले में पीड़िता ने अपने बयान में स्वयं की हालत दो-तीन दिन तक ठीक नहीं होना और दिनांक 23.12.2025 को स्वयं की कार के डैश कैमरे के बारे में जानकारी होने पर डैश कैमरे को चलाकर देखना और तत्पश्चात रिपोर्ट इस मामले में दर्ज करवाना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के पश्चात कोई कार्य कंपनी का किया गया हो, ऐसा इस स्टेज पर नहीं बताया गया है।
13. इस मामले में मुस्तगीस पक्ष की ओर से दिए गए पेन ड्राइव के Transcript (लिप्यन्तर) ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में प्रस्तुत की गई है और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में वाहनों के बारे में व प्रार्थिया/अभियुक्ता व अन्य सह-अभियुक्तगण की हलचल के बारे में विश्लेषण पेश किया गया है। इस स्टेज पर इनके बारे में विस्तृत विवेचन किया जाना न्यायोचित नहीं है।
14. Medico-legal Examination Report of Sexual Violence पर भी विचार किया गया, जिसमें पीड़िता के इंजरी होने का उल्लेख है और Opinion में यह अंकित किया गया है कि "Possibility of forceful Sexual intercourse can not be denied."
15. पुलिस द्वारा इस मामले में बाद तफ्तीश चालान पेश किया जा चुका है। इस मामले में दफा 27 की सूचना के आधार पर सह-अभियुक्त जो कि प्रार्थिया/अभियुक्ता का पति है, के द्वारा प्रार्थिया/अभियुक्ता व उसके पति के घर से पीड़िता के दो मोजे व एक लेडीज पैंटी की बरामदगी करवाई गई है।
16. इस स्टेज पर जिस प्रकार की घटना कारित की गई है, उससे मामला गंभीर प्रकृति का होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में पीड़िता व उसके पति के बयान से पूर्व प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
17. अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता शिल्पा पत्नी गौरव की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J